

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 196

प्रकरण क्रमांक- SM-EXP-2024-02063

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "प्रतीक सोनकर", प्रमोटर-श्री प्रतीक सोनकर, पता-देवती सोनकर
स्कूल के पास, सोनार पारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"प्रतीक सोनकर", पता-नंदई, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13/03/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा अधिवक्ता मय प्रतिनिधि उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा कॉलोनी विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश किया गया। अनावेदक द्वारा दिनांक 31.01.2022 को विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।</p> <p>अनावेदक के विरुद्ध राशि 1,000/- (एक हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित की जाती है।</p> <p>अनावेदक द्वारा राशि की राशि निर्धारित शीर्ष मद में दिनांक 13.03.2024 को जमा कर चालान की मूल प्रति पेश किया गया। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे।</p> <p>प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया गया। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति अनावेदक न करें चेतावनी दी जाती है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	